संख्याः 36/2025/2351/छिहत्तर-1-2025-1348899

प्रेषक,

डा0 अम्बरीष कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 11 सितम्बर,2025

विषयः वित्तीय वर्ष 2025-26 में नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति निदेशालय में कार्यरत कार्मिकों के वेतन आदि के भुगतान के लिए धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1957/E-2/2025-26(Fin-3) दिनांक 03 सितम्बर, 2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से शासनादेश संख्या-24/2025/1021/76-1-2025-1348899 दिनांक 21 अप्रैल, 2025 द्वारा स्वीकृत धनराशि रू 608.75 लाख के सापेक्ष रू 161.78 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराते हुए नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति निदेशालय में कार्यरत कार्मिकों के गैर वेतन आदि हेतु विभिन्न मदों में रू0 50.00 लाख की धनराशि स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-93 के अन्तर्गत नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति निदेशालय में कार्यरत कार्मिकों के गैर वेतन आदि के भुगतान हेतु द्वितीय किश्त के रूप में रू0 50.00 लाख (रूपये पचास लाख मात्र) निम्नलिखित मदवार/ शर्तो/ प्रतिबन्धों के अधीन राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि रूपये लाख में)

मद का नाम	आय-व्ययक प्राविधान (वर्ष 2025-26)	द्वितीय किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि
1	2	3
08-कार्यालय व्यय	20.00	10.00
09-विद्युत देय	30.00	15.00
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	20.00	10.00
42-अन्य व्यय	30.00	15.00
योग -	100.00	50.00

(रूपये पचास लाख मात्र)

1. चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत करने के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च 2025 में दी गयी शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. आंकडों की शुदधता एवं प्रश्नगत धनराशि के अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व वित्त नियंत्रक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन का होगा।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी बैंक/ डाकघर में नहीं रखा जायेगा।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार किया जायेगा।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि से सामग्री आदि के क्रय हेतु सामग्री क्रय सम्बन्धी संगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया/ व्यवस्थाओं का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

6. धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बन्ध में मितव्ययिता सम्बन्धी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत व्यय व निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराये जाने का दायित्व वित्त नियंत्रक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन का होगा।
8. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/ उपयोग निर्धारित मदों में ही किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-93 के लेखाशीर्षक-"2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-001-निदेशन तथा प्रशासन-03 नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति निदेशालय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च 2025 के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

Digitally signed by AMBARISH KUMAR SINGH
Date: 11-09-2025 17:31:53

(डा0 अम्बरीष कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 36 / 2025/2351 (1)/छिहत्तर-1-2025-31 बजट/2017, तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/ द्वितीय उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
4. वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1/2, वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-2।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
Digitally signed by OM PRAKASH CHAUHAN
Date: 11-09-2025 18:32:08

(ओम प्रकाश चौहान)
उप सचिव।